न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर
जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 105/2018 (2018/00470) दर्ज दिनांक 04.07.2018
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. श्रीमती नानी पुत्री जोधा पत्नि प्यार जी रेगर निवासी गंगापुर हाल कुरज तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
2. श्रीमती गुलाबी पुत्री जोधा पत्नि लक्ष्मण रेगर निवासी गंगापुर हाल थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादीयागण

बनाम

1. श्रीमती मगनी बेवा नारायण रेगर निवासी वार्ड संख्या 20, रेगर मौहल्ला गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता वादीयागणः– श्री राजमल तिवारी
पेरोकार सरकार

<u>वाद पत्र बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.</u>

दिनांक 03.09.2020

<u>निर्णय</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सल्यावड़ी, पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक के ससुर जोधा आत्मज डाबर रेगर निवासी गंगापुर के खातेदारी अधिका[illegible] संख्या 79 रकबा एक बीघा 5 बिस्वा , 85 रकबा 16 बिस्वा, 131 [illegible] 79 [illegible]बा 17 बिस्वा, 69 रकबा एक बीघा एक बिस्वा, 77 रकबा [illegible] कुल रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा भुमि स्थित थी। [illegible] 2033 से 2036 [illegible] के साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक , एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते है। इस हिन्दु संयुक्त परिवार का सजरा इस प्रकार हैः–

जोधा आत्मज डाबर रेगर
|
|————————— |———————————————— |————————— |

नारायण पुत्र फौत	नानी पुत्री	गुलाबी पुत्री	केशी फौत
| मंगनी बेवा			

उपरोक्त सजरेनुसार इस हिन्दु संयुक्त के मुल पुरूष जोधा आत्मज डाबर रेगर थे, जिनके एक पुत्र नारायण तथा दो पुत्रियां वादीगण नानी व गुलाबी हुए। नारायण का स्वर्गवास हो गया है तथा उनके एक पत्नि मंगनी है जो प्रतिवादी संख्या एक है। हम वादीगण जोधा की जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है।

यह कि खातेदार जोधा आत्मज डाबर रेगर का स्वर्गवास होने के पश्चात उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 394 खोला जाकर ग्राम पंचायत शिवरती द्वारा फैसल किया गया। मृतक नारायण ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ करके मृतक जोधा की विरासत का नामान्तर करण संख्या 394 को तन्हा रूप से अपने नाम फैसल करवा लिया जबकि हम वादीगण नानी एंव गुलाबी भी मृतक जोधा की जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है। मृतक नारायण ने जोधा की सम्पूर्ण भुमि गलत रूप से तन्हा अपने नाम दर्ज करवा दी है जो गैर कानुनी होकर विधि विरूद्ध है और ऐसा नामान्तरकरण शुरू से ही शुन्य होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि हम वादीगण मृतक खातेदार जोधा की जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक जोधा द्वारा छोड़ी गई समस्त सम्पत्तियों में हम वादीगण का भी जन्म से ही बराबर हक व हिस्सा निहित है। उक्त भुमिया पुश्तैनी एंव पैतृक भुमियां है। जिससे हम वादीगण मृतक खातेदार जोधा की भुमियों में 2/3 हिस्से से अपना नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज करवाने की अधिकारीणी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

यह कि मृतक जोधा हम वादीगण के पिता [illegible] पूर्वज है और उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 394 [illegible] के पति मृतक नारायण ने अपने नाम दर्ज करवा [illegible] नामान्तरकरण फैसल करवा लिया तथा ग्राम पंचायत ने भी हम वादीगण को कोई नोटिस नहीं दिया न ही हम वादीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया। जिससे ऐसे नामान्तरकरण के आधार पर वादीगण के हिस्से की भुमि में मृतक नारायण या प्रतिवादी संख्या एक को कोई कानुनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। 2.

सहायक कलक्टर (सिमान्त अधिकारी)

Scanned with CamScanner

यह कि हम वादीगण मृतक खातेदार जोधा की भुमियों पर 2/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिससे हम वादीगण मृतक जोधा की भूमियों में अपना नाम 2/3 हिस्से से दर्ज करवाने की घोषणात्मक डिक्री जारी करवाने की अधिकारिणी है।

यह कि ग्राम सल्यावड़ी तहसील सहाड़ा का नवीन भु – प्रबंध हुआ , जिससे वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित साबिक आराजियात के नये नम्बर आराजी संख्या 142 रकबा 0.12 हे0, 143 रकबा 0.15 हे0, 145 रकबा 0.17 हे0, 135 रकबा 0.06 हे0, 136 रकबा 0.12 हे0, 122 रकबा 0.23 हे0, 133 रकबा 0.37 हे0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.22 हे0 कायम किये गये है।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक के पति मृतक नारायण ने साबिक आराजी संख्या 69 जिसके हाल नम्बर 122 रकबा 0.23 हे0 भूमि को गैर कानुनी तरीके से दीपा आत्मज अमरा रेगर निवासी गंगापुर को एवं हाल आराजी संख्या 133 रकबा 0.06 हे0 , 143 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.21 हे0 भूम को संतोषीदेवी पत्नि कजोड़मल रेगर निवासी गंगापुर को विक्रय कर दी तथा उक्त आराजियात में निहित हम वादीगण के हक व अधिकार को सुरक्षित रखते हुए यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा मृतक नारायण ने आराजी संख्या 136 में से 0.11 हे0 भूमि व आराजी संख्या 142 में से 0.11 हे0 भूमि को शंकर आत्मज श्रीचन्द रेगर निवासी गंगापुर से विनियम से आराजी संख्या 150 रकबा 0.22 हे0 भूमि अपने नाम दर्ज करवा दी है।

यह कि इस प्रकार मृतक नारायण द्वारा आराजियात विक्रय करने एवं विनियम करने के बाद आराजी संख्या 133 रकबा 0.37 हे0, 145 रकबा 0.17 हे0, 150 रकबा 0.22 हे0, 2106/136 रकबा 0.01 हे0, 2108/142 रकबा 0.01 हे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 248 पर शेष रही है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज रेकार्ड है।

यह कि प्रतिवादी संख्या एक के नाम आराजियात राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है तथा हम वादीगण का हिस्सा भी प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज हो जाने का नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादी संख्या एक हम वादीगण के हक व हिस्से की भूमि को अन्य को रहन, बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर सकती है। जिससे प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमायी जाना नितान्त आवश्यक है।

यह कि वादग्रस्त भूमियां [illegible] दर्ज होने की जानकारी हम वादीगण को नहीं थी तथा हम वादीग[illegible] सा भी वर्तमान में प्रवितादी संख्या एक के नाम दर्ज रेकार्ड [illegible] हमारे जायज हक व हिस्से को भी विक्रय करने [illegible] दर प्रार्थना हैं –

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

3.

– कि घोषणात्मक डिक्री खातेदारी अधिकार की बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरवाई जावे कि ग्राम सल्यावड़ी के वर्तमान राजस्व खाता संख्या 248 में अंकित आराजी संख्या 133 रकबा 0.37 हे0, 145 रकबा 0.17 हे0, 150 रकबा 0.22 हे0, 2106/136 रकबा 0.01 हे0, 2108/142 रकबा 0.01 हे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि के 2/3 हिस्से के वादीगण खातेदार काश्तकार है और तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में वतौर खातेदार दर्ज कराया जावें।

– कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या एक इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 248 में अंकित आराजियात कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि को किसी अन्य को रहन , बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा वादीगण को उनके हक व हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करें न अन्य से करावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 04.07.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहेने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की जाती है।

वादीगण की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1, P.W-2 प्रस्तुत किया हैं। जिसमें ग्राम सल्यावड़ी की जमाबंदी संवत् 2033 से 2036 प्रदर्श –1 है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श –2 है। नामान्तरण संख्या 394 प्रदर्श –3 है, वादी ने अपनी साक्ष्य में कुल 7 दस्तावेज प्रदर्श कराये। ग्राम सल्यावड़ी की खाता संख्या 382, 352, 101, 248 की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 प्रदर्श –4 है। वादीगण अधिवक्ता की प्रतिवादी पेरोकार सरकार साक्ष्यवादी जिरह नहीं करना चाहता है अतः साक्ष्यवादी जिरह बंद की जाती है।

वादीगण अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् कुल चार दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तवेज साक्ष्यों अनुसार वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 अन्तर्गत धारा का यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः— 105/2018 (2018/00470)
वाद— अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

—: आदेश :—

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीगण को राजस्व ग्राम सल्यावड़ी , पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा की वर्तमान राजस्व खाता संख्या 248 में अंकित आराजी संख्या 133 रकबा 0.37 हे0, 145 रकबा 0.17 हे0, 150 रकबा 0.22 हे0, 2106/136 रकबा 0.01 हे0, 2108/142 रकबा 0.01 हे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि के 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के हक, हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

5.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 105/2018 (2018/00470) दर्ज दिनांक 04.07.2018
वाद– अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. श्रीमती नानी पुत्री जोधा पत्नि प्यार जी रेगर निवासी गंगापुर हाल कुरज तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
2. श्रीमती गुलाबी पुत्री जोधा पत्नि लक्ष्मण रेगर निवासी गंगापुर हाल थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

वादीयागण

बनाम

1. श्रीमती मगनी बेवा नारायण रेगर निवासी वार्ड संख्या 20, रेगर मौहल्ला गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

डिक्री दिनांक 03.09.2020

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजमल तिवारी , प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×–––––– द्वारा ––––×–––––– को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीगण को राजस्व ग्राम सल्यावड़ी , पटवार हल्का शिवरती तहसील सहाड़ा की वर्तमान राजस्व खाता संख्या 248 में अंकित आराजी संख्या 133 रकबा 0.37 हे0, 145 रकबा 0.17 हे0, 150 रकबा 0.22 हे0, 2106/136 रकबा 0.01 हे0, 2108/142 रकबा 0.01 हे0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 हे0 भूमि के 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के हक, हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 13:59:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner